न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 781/2019–20

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

आवेदक श्री निरज लकड़ा पिता स्व0 जतरू उराँव, ग्राम– सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन
सोलंबीरा	124	42	736	1.14 एकड़ में से 0.13ए0(तेरह)	टांड़ II

चौहदी :– उत्तर – रोड । दक्षिण – परती टंगरा।

पूरब – नीज। पश्चिम – नीज।

जमीन विक्रेता की विवरणी

आवेदक – श्री निरज लकड़ा पिता– स्व0 जतरू उरॉव, ग्राम– सोलंगबीरा, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता की विवरणी

क्रेता – श्री झखन लोहरा, पिता– स्व0 लहस लोहरा, ग्राम– सोलंगबीरा पखना टोली, थाना – बसिया जिला– गुमला

भूमि सुधार उपसमाहर्ता बसिया, (गुमला)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता** श्री झखन लोहरा, पिता– स्व0 लहस लोहरा, ग्राम– सोलंगबीरा पखना टोली, थाना – बसिया जिला– गुमला रूपये 2,00,000 (दो लाख) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांकः– 17(ii) दिनांकः– 15/07/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ती दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक श्री निरज लकड़ा पिता स्व0 जतरू उरॉव, ग्राम– सोलगबीरा थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 13:54:27 +05:30
Location: 192.168.0.112